

STUDDS ACCESSORIES LIMITED

REGD. OFF. : PLOT NO. 918, SECTOR-68 IMT
FARIDABAD-121004, HARYANA (INDIA)
PHONES : 91-129-4296500

E mail : sales@studds.com, info@studds.com, secretarial@studds.com

CIN No.: L25208HR1983PLC015135

Date: May 24, 2026

To, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001
NSE Scrip Symbol: STUDDS	BSE Scrip Code: 544599

Subject: Newspaper Publication- Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Dear Sir/ Ma’am,

Pursuant to Regulation 30 and Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 47 and any other applicable provisions of the said Regulations, please find the enclosed copies of the Newspaper Publications in connection with the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026 as approved in the Board Meeting of the Company held on Saturday, May 23, 2026. The advertisements are published in Financial Express (English)- All India Edition and Jansatta (Hindi)- Delhi Edition, today on Sunday May 24, 2026.

The aforesaid Financial Results and newspaper publications thereon are also hosted on the website of the Company at <https://www.studds.com/investor-relations/financials>

This is submitted for your information & records.

Thanking You,

FOR STUDDS ACCESSORIES LIMITED



ASHA MITTAL
Company Secretary and Compliance Officer



®
STUDDS

www.studds.com





STUDDS ACCESSORIES LIMITED

CIN: L25208HR1983PLC015135
Registered and Corporate Office: Plot No. 918, Sector 68, IMT, Faridabad - 121004, Haryana

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on May 23, 2026, approved the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026.



By order of the Board
For STUDDS ACCESSORIES LIMITED
Sd/-
Sidhartha Bhushan Khurana
Managing Director

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015



SANSTAR LIMITED

CIN: L15400GJ1782PLC072956
Regd. Office: Sanstar House Nr. Rainfall Under Bridge, Dbr. Shivohki Shopping Centre, PWD, Ahmedabad, Gujarat

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on Saturday 23rd May, 2026, considered and approved the Standalone Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2026.

The Full financial result of the Company along with the Auditor's Report, are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and are also posted on the Company's website at https://sanstar.in/investors-relations/financial-information/ Quarterly Financials Q4-FY 2025-26 which can be accessed by scanning the Quick Response (QR) Code.



Place: Ahmedabad
Date: May 23, 2026

For Sanstar Limited
Sd/-
Gouthamchand Sohanial Chowdhary
Chairman & Managing Director

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015



Regional Office- Civil Lines, Moradabad

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized officer of the CANARA BANK, under Commission and Recognition of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 53 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued pursuant to notice by the date mentioned against and call upon them to repay the amount within 30 days from the date of receipt of said notice.

Table with columns: Sl. No., Name of the Borrower/Guarantor & Branch Name, Description of the Immovable Property, Outstanding Amount, Date of Demand Notice, Date of Possession

Dated: 24.05.2026 Place: Amroha Authorized Officer, Canara Bank

IMPORTANT

Whist care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications.



SAVE HOUSING FINANCE LIMITED

Formerly known as New Habitat Housing Finance & Development Limited
Office: Unit No. 761, 7th Floor, Vignya Mall, Plot No. 06, Sector-14, Dwarka, New Delhi-110075

NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF THE FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF THE SECURITY INTEREST ACT (SARFAESI), 2002.

Whereas I, the undersigned, acting as an authorized officer of the SAVE HOUSING FINANCE LIMITED (Formerly known as New Habitat Housing Finance & Development Limited) in and from its registered office, do hereby give notice to the borrower/guarantor to repay the amount due to the SAVE HOUSING FINANCE LIMITED within 30 days from the date of receipt of this notice.

Table with columns: Sl. No. of the Borrower/Co-Borrowers Name and Date of Repayment, Date of Demand Notice, Amount Outstanding, Details of Secured Assets

Dated: 23/05/2026 Place: AGRA, UP AUTHORIZED OFFICER, SAVE HOUSING FINANCE LIMITED



INDIA PESTICIDES LIMITED

CIN: L24120UP1984PLC005894
Regd. Office: 35-A, Civil Lines, Bareilly - 241 001, Uttar Pradesh, India. Tel: 01 0581 2507459

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

Table with columns: Sl. No., Particulars, Quarter Ended 31.03.2026 (Audited), Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited), Quarter Ended 31.03.2025 (Audited), Year Ended 31.03.2026 (Audited), Year Ended 31.03.2025 (Audited)

KEY HIGHLIGHTS OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS

Table with columns: Sl. No., Particulars, Quarter Ended 31.03.2026 (Audited), Quarter Ended 31.12.2025 (Unaudited), Quarter Ended 31.03.2025 (Audited), Year Ended 31.03.2026 (Audited), Year Ended 31.03.2025 (Audited)

The above is an extract of the audited financial results for the quarter and year ended 31st March 2026 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 23rd May 2026, and have been audited by Statutory Auditors and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. As attached, the full copy of the audited financial results is available on the website of the Company (www.indiapesticides.com) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) respectively.

Please scan the QR Code for Details Audited Financial Results



Advertisement for FINANCIAL EXPRESS with text 'THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE' and 'FINANCIAL EXPRESS Read to Lead'

Advertisement for Classified Ad Depot (CAD) with list of ad agencies in East, West, Central, North, South, and NCR regions.

देश

पति सात दिन की पुलिस हिरासत में, दूसरा पोस्टमार्टम आज होगा

भोपाल, 23 मई (भाषा)।

भोपाल की एक अदालत ने पूर्व अभिनेत्री एवं माडल त्विषा शर्मा की कथित दहेज मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में सह-आरोपी एवं समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने कहा कि बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद त्विषा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों को चार सदस्यीय टीम शनिवार को भोपाल पहुंची। रविवार को टीम पोस्टमार्टम करेगी। त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। उसके बाद उसके पति समर्थ सिंह एवं सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। समर्थ इसी प्राथमिकी के चलते पिछले 10 दिन से फरार था। वह शुक्रवार शाम जबलपुर जिला

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद त्विषा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए एम्स दिल्ली के चिकित्सकों की टीम शनिवार को भोपाल आई है।

अदालत परिसर में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचा जहां उसे गिरफ्तार किया गया था। उसने इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। उसे शनिवार तड़के भोपाल लाया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुदिता गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उसके वकील ने अदालत में उसका पासपोर्ट भी जमा कराया। त्विषा शर्मा की मौत के बाद उसके पति समर्थ सिंह तथा सास एवं पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया था। वर्तमान में भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह ने शनिवार को कहा कि वह अपना

बयान दर्ज कराने को तैयार हैं, लेकिन भोपाल पुलिस ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि घर के बाहर अव्यवस्थित स्थिति के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उनका इशारा मीडियाकर्मियों को मौजूदगी की ओर था।

उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी कर उनसे 25 मई तक जवाब मांगा था। वहीं, दो दिन पहले भोपाल पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर उपस्थित नहीं होने पर उन्हें तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया था। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को त्विषा शर्मा के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। इसके बाद एम्स वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित किया। एम्स दिल्ली में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डा सुधीर गुप्ता ने बोर्ड का गठन किया है।

‘लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों एवं विधायी निकाय का प्रस्ताव दिया’

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 23 मई।

लद्दाख के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने छठी अनुसूची के बजाय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और इस क्षेत्र के लिए एक विधायी निकाय का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत अभी जारी है तथा अंतिम समझौता नहीं हुआ है।

गृह मंत्रालय की एक उप-समिति के साथ अपनी बैठक के एक दिन बाद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 371 ए और 371 जी की तर्ज पर लद्दाख के लिए सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया है और वह केवल जिला परिषदों तक शक्तियों को सीमित करने के बजाय पूरे क्षेत्र के लिए एक शासन संरचना पर संवैधानिक रूप से सहमत हो गई है। ‘कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस’ (केडीए) के सदस्य सज्जद कारगिली ने बताया कि केंद्र ने लद्दाख के लिए विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रस्तावित की हैं तथा उनसे कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श के लिए एक औपचारिक मसविदा साझा करने को कहा गया है।

युवाओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर ध्यान दे सरकार : सोनम

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 23 मई।

पर्यावरणविद् और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने शनिवार को स्वघोषित ‘काकरोच’ (तिलचट्टा) जनता पार्टी’ (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आनलाइन ‘काकरोच’ आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने खुद को ‘मानद काकरोच’ बताते हुए सरकार से अपील की कि वह युवाओं की डिजिटल अभिव्यक्ति को दबाने के बजाय उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर ध्यान दे।

इस आनलाइन अभियान में व्यंग्य के तौर तथा दृढ़ता एवं असहमति के प्रतीक के तौर पर तिलचट्टे की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अभियान ने हाल के दिनों में तब ध्यान आकर्षित किया, जब इसके संस्थापकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की शिकायत की है, जिसमें अकाउंट निलंबन और हैकिंग के आरोप शामिल हैं। यह आंदोलन बेरोजगारी, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और सार्वजनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। वांगचुक ने इस विवाद पर कहा कि इस अभियान को लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के रूप में

पर्यावरणविद् और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने आनलाइन ‘काकरोच’ आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

देखा जाना चाहिए, न कि खतरे के रूप में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो, मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति चिंता या भय की कोई बात नहीं है। सरकार को यह संदेश समझना चाहिए— संदेशवाहक को मत मारो। अगर हम संदेशवाहक को मार देंगे, तो संदेश खत्म नहीं होगा। जब वांगचुक से पूछा गया कि क्या वह औपचारिक रूप से आंदोलन में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कई गहरा संदेश है। मैं इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे भी संदेश बन जाना चाहिए। उन्होंने हल्के-फुल्के अंशज में कहा कि (लेकिन) मुझे लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ— मैं न तो बेरोजगार हूँ और न ही आलसी। इसलिए, दुख की बात है कि मैं सदस्य नहीं हूँ। लेकिन मैं खुद को मानद तिलचट्टा मानता हूँ।

प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी का मामला महोबा में अजय राय समेत 30 पर प्राथमिकी दर्ज

महोबा, 23 मई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अजय राय और पार्टी के पूर्व सचिव बृजराज अहिरवार समेत 25 से 30 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ महोबा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, अजय राय पर प्रचारकर्मी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित कर रास्ता जाम करने का आरोप है। राय शुक्रवार को महोबा दौरे पर गए थे।

पुलिस के अनुसार, अधिवक्ता नीरज रावत की शिकायत पर अजय राय और अन्य आरोपियों के खिलाफ शनिवार तड़के भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) (अवरोध पैदा करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जनबहुलक अपमान), 196(1) (धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) 189



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेताओं ने राय के बयान की निंदा की।

(2) (गैर कानूनी सभा) और 132 (लोकसेवक को उसके कर्तव्य में बाधा डालना) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि शुक्रवार को अहिरवार ने अपने समर्थकों के साथ समद नगर में बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया और अजय राय को आमंत्रित किया। अजय राय 15-16 वाहनों के काफिले और 25 से 30 समर्थकों के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। वाहनों को अस्त-व्यस्त तरीके से खड़ा करने से आम रास्ता अवरुद्ध हो गया।

शिकायत में कहा गया है कि आवागमन सुचारु रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को अपना कार्य छोड़कर मौके पर पहुंचना पड़ा, जिससे सरकारी दायित्वों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न हुई। रावत ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की और अपशब्द कहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। आरोप है कि इस वीडियो से समाज में जातिगत विद्वेष और आमजन में आक्रोश फैला है। शुक्रवार को मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ विरोध का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने राय के बयान की निंदा की।

मथुरा में ‘तेरहवीं’ का बचा खाना खाने के बाद 10 गायों की मौत

मथुरा, 23 मई (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गांव में ग्राम प्रधान की ‘तेरहवीं’ कार्यक्रम का बचा हुआ खाना खाने के बाद शनिवार को एक गोशाला में 10 गायों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। मथुरा पशु चिकित्सा अधिकारी एनएन शुक्ला ने बताया कि ‘तेरहवीं’ के बाद बड़ी मात्रा में भोजन बच गया था, जिसे 22 मई को गोशाला के जानवरों को दिया गया था।

शुक्ला ने कहा कि बचा हुआ खाना खाने के बाद कुल 30 गायें एसिडोसिस (शरीर के तरल पदार्थों में एसिड की अधिकता से जुड़ी एक चिकित्सीय स्थिति) के कारण बीमार पड़ गईं। 10 गायों की मौत हो गई। डाक्टर अन्व 20 गायों को बचाने में कामयाब रहे, जो अब ठीक हैं। यह घटना रिवाइन्डरी पुलिस थाने के तहत आने वाले भैसा गांव में हुई। ग्राम प्रधान की तेरहवीं 20 मई को थी, जिसके बाद बड़ी मात्रा में बचे हुए खाने को 22 मई को गोशाला में पशुओं को दिया गया। 10 पशु चिकित्सकों की एक टीम को गायों के उपचार में लगाया गया और उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। गायों का पोस्टमार्टम किया गया है और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

उत्तरकाशी पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीमांत गांव हर्षिल में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया

जनसत्ता संवाददाता देहरादून, 23 मई।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को भारत-चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री विधानसभा के सीमांत गांव हर्षिल में पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। प्रदेश में मतदाता सूचियों के आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे कुमार ने हर्षिल की बृथ लेवल आफिसर (वीएलओ) भिंटू देवी के साथ विस्तृत संवाद किया तथा उनसे एसआइआर की तैयारी के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने वीएलओ भिंटू देवी के कार्यों की जमकर सराहना की और कहा कि वह पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि एसआइआर कार्य में समर्पण के साथ जुटे सभी वीएलओ को चुनाव आयोग सलाम करता है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि देश के सभी वीएलओ इसी तरीके से कार्य करेंगे। इस मौके पर सीइसी ने कहा कि वीएलओ जमीनी स्तर पर कर्मठता के साथ

बीएलओ एप के माध्यम से सूची में शामिल ‘अनुपलब्ध, स्थानांतरित, मृत, फर्जी और विदेशी मतदाताओं’ को चिह्नित कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य कर रहे हैं तथा साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ रहे हैं। कुमार साधु-संतों वाले विशेष बूथ गंगोत्री भी पहुंचे तथा उनसे बातचीत की। उन्होंने दुर्गम परिस्थितियों और कड़ाके की ठंड के बावजूद देश के चुनावी उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उनका आभार जताया।

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा पोलिंग बूथ है जहां शत-प्रतिशत मतदाता केवल साधना में लीन रहने वाले साधु-संत हैं और यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विविधता और ताकत की अनूठी मिसाल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हर्षिल में देर शाम उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीबीआरसी पुरुषोत्तम से एसआइआर की जानकारी ली। इस मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपनी पत्नी के साथ गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की।

STUDDS SMK HIDE YOUR DREAMS स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु अंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण. Includes financial data and company information.

INDIA PESTICIDES LIMITED. EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026. Includes detailed financial tables and company highlights.

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. गृहमूक्त कार्यक्रम की विविध, बी-विलिंग, गंगा दूरी निवास पर, लोहावा, पूरा, काशी - 221004. Includes details of housing programs and contact information.



STUDDS ACCESSORIES LIMITED

CIN: L25208HR1983PLC015135

Registered and Corporate Office: Plot No. 918, Sector 68, IMT, Faridabad – 121004, Haryana
Phone No.: 91-129-4296500 | Website: www.studds.com | E-mail: secretarial@studds.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

The Board of Directors of the Company, at its meeting held on May 23, 2026, approved the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026.

You can view the financial results along with Audit Reports by scanning this QR code or by visiting the website of Stock Exchange(s) - BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website at: <https://www.studds.com/investor-relations/financials>.



By order of the Board
For STUDDS ACCESSORIES LIMITED

Sd/-
Sidhartha Bhushan Khurana
Managing Director
DIN: 00172788

Place : Faridabad
Dated : May 23, 2026

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

वर्ष दिल्ली

देश

| जनसत्ता | 24 मई, 2026 | 15



स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

सीआईएन: L25208HR1983PLC015135

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट संख्या 918, सेक्टर 68, आईएमटी, फरीदाबाद – 121004, हरियाणा
फोन नंबर: 91-129-4296500 | वेबसाइट: www.studds.com | ईमेल: secretarial@studds.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु अंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 23 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु अंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया।

आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अथवा स्टॉक एक्सचेंज – बीएसई (www.bseindia.com) एवं एनएसई (www.nseindia.com) की वेबसाइट तथा कंपनी की वेबसाइट <https://www.studds.com/investor-relations/financials> पर जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट सहित वित्तीय परिणाम देख सकते हैं।



मंडल के आदेशानुसार
कृते स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड
हस्ता / -

सिद्धार्थ भूषण खुराना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00172788

स्थान: फरीदाबाद
तारीख: 23 मई, 2026

नोट: उपरोक्त जानकारी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार है।